भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये　　Rs. 100

रु. 100　　ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　　FP 754586

हम अमित कुमार पाण्डेय एवं सौरभ तिवारी क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव मुक्तिनाथ एजुकेशनल जन सेवा ट्रस्ट रामपुर रामदत्तपट्टी खानपुर भगतपट्टी आजमगढ़ सत्यनिष्ठापूर्वक निम्नवत बयान करते है

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा श्री [illegible] पाण्डेय कालेज आफ फार्मेसी रामपुर रामदत्तपट्टी खानपुर भगतपट्टी आजमगढ़ नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2025-26 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम [illegible] में गाटा संख्या 120 गाटा संख्या 208 एवं 120 रकबा एकड़ (कुल रकबा 2.0 एकड़) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त वर्णित सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि की गाटा संख्या 120,208 एवं 120 रकबा क्रमशः [illegible] एकड़ (कुल रकबा 2.0 एकड़) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक [illegible] द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त वर्णित सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय /आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर [illegible]
12. [illegible] परिषद् द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का यथाविधि पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय मानकीय निरीक्षण में [illegible] कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद् की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम [illegible] मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. [illegible] करते हैं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण सत्य व सही है। यदि दी गयी [illegible] एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानूनी [illegible] कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

NOTARY GOVT. OF U.P. IN INDIA

ह0 सचिव　　ह0 अध्यक्ष